

कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक

क्रमांक : एफ()सर्वे/ एफ सी ए /उवस/10008

दिनांक 18/10/2017

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक

अजमेर

विषय : प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/14903/2015 के EDS Reply के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ : भारत सरकार के पत्रांक 8/बी/राज./06/43/2015/एफ.सी.ए./471 दिनांक 04.10.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा संदर्भित पत्र में लगाए गए आक्षेपों की पूर्ती कर दी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.स.	प्रकरण में लगाये गए आक्षेप	कार्यवाही विवरण
1	Gram Sabha Proceedings of FRA certificate is not enclosed.	FRA से सम्बंधित वांछित चांदली माता ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण यूजर एजेंसी द्वारा संलग्न कर दिया गया है । ग्राम पंचायत निवारिया का Record वर्तमान में ACD द्वारा जप्त कर लिए जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो पाया है ।
2	Area Calculation of Forest land to be diverted has not been clarified. Area requirement does not match DSS Analysis.	यूजर एजेंसी द्वारा संशोधित कर upload कर दी गयी है ।
3	Penal Afforestation Cost needs to be imposed for violation of FC Act.	दण्डात्मक क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु राशि का आंकलन कर उससे सम्बंधित DGPS Map & GT Sheet संलग्न कर दिए गए हैं। KML file CD में संलग्न है ।

संलग्न : -उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप वन संरक्षक

टोंक